



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर



आओ करें राजीनामा



ऑन लाईन लोक अदालत

दिनांक 22 अगस्त, 2020

ऑन लाईन लोक अदालत में नियत होने वाले प्रकरण-

प्रि-लिटिगेशन प्रकरण (न्यायालय में संस्थित होने से पूर्व)

न्यायालय में लम्बित राजीनामा योग्य सभी प्रकरण

- धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण
- धन वसूली के प्रकरण
- एम.ए.सी.टी. के प्रकरण
- वैवाहिक एवं भरण-पोषण के विवाद, घरेलू हिंसा के विवाद (तलाक को छोड़कर)
- श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण
- अन्य सिविल प्रकरण जिनमें ओ.डी.आर. से निरस्तारण संभव है।



ऑन लाईन लोक अदालत में क्या खास है-

- ❖ अधिवक्तागण/पक्षकार अपना मोबाईल नम्बर/व्हॉट्सएप नम्बर/ई-मेल आई डी मय प्रकरण के विवरण के संबंधित न्यायालय, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ ऑन लाईन सुलाह वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस/फोन कॉन्फ्रेंस कॉल/ सेवा प्रदाता के प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
- ❖ अधिवक्तागण व पक्षकार को आवेदन के साथ प्रकरण का विवरण मोबाईल नम्बर, व्हॉट्सएप नम्बर व ई-मेल आई डी उपलब्ध कराना होगा।
- ❖ ऑनलाइन लोक अदालत में पक्षकारों को व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
- ❖ यह पूर्ण रूप से सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकारों की राजीनामों पर सहमति पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजकर डिजिटल सत्यापन के माध्यम से रिकॉर्ड की जाएगी।
- ❖ अधिवक्तागण/पक्षकार दिनांक 21 अगस्त, 2020 तक ऑन लाईन लोक अदालत में अपने प्रकरण रखवा सकते हैं।
- ❖ लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना करते हुए किया जा रहा है।

सम्पर्क सूत्र

ई-मेल : rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, spsec.rslsa@gmail.com
हेल्प लाईन नं.: 15100, 9928900900, वेबसाइट : www.rlsa.gov.in फोन : 0141-2227481